# विधिक सूचना

सेवा में,

मननीय श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री भारत गणराज्य,

प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लाक,

नई दिल्ली–110011

**नोटिस– द्वारा–**आचार्य अजय गौतम

यह कि नोटिसकर्ता एक पुजारी है तथा पूजा पाठ का काम करता है तथा साथ में सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण हिन्दू धर्म व सामाजिक मुददे जनहित याचिका के रूप में निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक विषयों को जिम्मेदार नागरिक होने के कारण उठाता है। जैसे कि केदारनाथ त्रास्दी, बाल भिक्षावृत्ति, मानव रहित रेलवे क्रोसिंग, सामाजिक न्याय, गंगा का निर्मलीकरण, आपदा प्रबंधन इत्यादि कुछ मुख्य मुददे देश की विभिन्न उच्चन्यायालय व सवोच्चन्यायालय में लम्बित हैं तथा जनहित के लिए कई आदेश पारित कराये हैं।

1. यह कि नोटिसकर्ता की विभिन्न प्रार्थना पत्रों पर आपके ही कार्यालय के द्वारा संबन्धित विभागों को एडवाईजरी भी जारी करी।

2. यह कि नोटिसकर्ता राष्ट्रीय स्वंय संघ का कार्यकर्ता भी रहा है तथा पिछले 15 वर्षो से हमेशा विश्व हिन्दू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा भारतीय

जनता पार्टी के समर्थन में अपना वक्तव्य/पक्ष रखता आया है।

3. यह कि आप नोटिसी भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं तथा देश के समस्त धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय व उनकी धार्मिक मान्यताओं की रक्षा व सुरक्षा का दायित्व आपके ऊपर है।

4. यह कि भारत गणराज्य में अस्सी प्रतिशत आबादी हिन्दू धर्म को मानने वाली है तथा गऊ माता, माँ गंगा एवं गायत्री जिसके आधार स्तम्भ हैं जिसके कारण हिन्दू धर्मावलम्बी गऊमाता को पशु ना मानकर गऊमाता का पवित्र स्थान देते हैं और शास्त्र व पुराणों के अनुसार यह माना जाता है कि गऊमाता में 33 कोटि देवताओं का वास है और आप स्वयं एक गऊ भक्त के रूप में और धर्मपरायण व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे।

5. यह कि वर्ष 2014 में लोक सभा चुनाव में प्रचार के दौरान आपने गुलाबी क्रान्ती के विरूद्ध एक नारा दिया था।

6. यह कि आपने स्वयं को गंगापुत्र कहा था और कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है।

7. यह कि आपने यह भी कहा था कि आप प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हैं तथा देश के धन के चौकीदार हैं।

8. यह कि गऊ माता भी हिन्दू धर्मावलम्वीयों का धन है जो कि राज्य व केन्द्र सरकार की नाक के नीचे गैर कानूनी तौर पर आजादी के 68 साल बाद भी निर्ममता से गऊ माता काटी जा रही हैं।

9. यह कि जनवरी 2015 में ए0बी0पी0 न्यूज के कार्यक्रम जिसमें आपकी प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने मेरे सामने स्वीकार किया कि 2015 में बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा है और यह गर्व की बात है और उसी चर्चा के दौरान एक समाचार पत्र में छपी खबर पर भी चर्चा हुई कि कुछ बुचड़खाने चलाने वालों ने भी चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को आर्थिक सहयोग दिया था।

10. यह कि आपके गुजरात के मुख्यमंत्री रहते देश का सर्वाधिक बीफ एक्सपोर्ट गुजरात से होता था तथा उस समय भारत बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक देश था।

11. यह कि इस साल हरियाणा प्रदेश में गऊ माता की तस्करी रोकते हुये तीन गऊ सेवकों ने गऊ तस्करों के हाथों अपने प्राण गंवाये।

12. यह कि इसी बर्ष प्रशांत पुजारी नामक गऊ सेवक की हेदराबाद में निर्ममता से हत्या कर दी गई।

13. यह कि केन्द्र व राज्य सरकार गऊ माता की तस्करी और उसकी निर्मम हत्या रोकने में केन्द्र व राज्य सरकारें पूर्णतः विफल रहीं है।

14. यह कि केन्द्र व राज्य सरकारें ;च्तवीपइपजपवद वि संनहीजमत – त्महनसंजपवद वि ज्मउचवतंतल डपहतंजपवद वत म्गचवतजद्ध ।बजए 1995 को लागू करने में पूर्णतः असफल रही हैं।

15. यह कि जो गऊ सेवक है वही गऊ रक्षक है जो गऊ रक्षक है वही गऊ सेवक है जिसको परिभाषित करने का कोई और माध्यम समाज के सामने नहीं है।

16. यह कि दिन हो या रात कुछ गऊ सेवक/ गऊ रक्षक, गऊ माता की तस्करी रोकने के लिए और ;च्तवीपइपजपवद वि संनहीजमत – त्महनसंजपवद वि ज्मउचवतंतल डपहतंजपवद वत म्गचवतजद्ध ।बजए 1995 इस एक्ट को लागू करने के लिए पुलिस व संबन्धित विभाग की सहायता करते हैं तथा इस सेवा को करते हुये कई बार उनपर गऊ तस्कर तेजाब से हमला करते हैं, हथियारों से हमला करते हैं यहां तक कि कुछ पुलिस वालों पर भी गाड़ी चढाकर उनकी हत्या कर देते हैं तथा इसी सेवा में गऊ सेवकों को कितनी बार अपने प्राणों की आहूति गऊ रक्षा करते देनी पडती है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, केरल, ना जाने कितने ही प्रदेश ऐसी घटनाओं से पटे पड़े हैं। जिनकी सुध ना तो राज्य सरकार लेती हैं ना ही केन्द्र सरकार।

17. यह कि चाहे धर्म का क्षेत्र हो या राजनीति हो हर जगह कुछ ना कुछ असमाजिक तत्व किसी ना किसी

रूप में रहते हैं। चाहे लोक सभा हो या राज्य सभा 30 प्रतिशत से अधिक लोगों पर किसी ना किसी रूप में अपराधिक मामले लम्बित हैं परन्तु कोई भी संसद को 80 प्रतिशत से अधिक अपराधीयों की संसद, गोरखधन्धेबाज संसद नहीं कह पाता।

18. यह कि 06/08/2016 को आपके द्वारा गऊ सेवक और गऊ रक्षक के संदर्भ में दिया गया ब्यान घोर निन्दनीय, अपमानजनक, गऊ सेवकों/गऊ रक्षकों को समाज में अपमानित और बदनाम करने वाला है। जिसका कुछ अंश इस प्रकार हैः–

**क.** गाय की रक्षा के नाम पर असमाजिक तत्व दुकान चला रहे है तथा राज्य सरकार उनके खिलाफ डोजियर तैयार करे।

**ख.** गऊ भक्त और गऊ सेवक अलग हैं।

**ग.** 80 प्रतिशत से अधिक गऊ रक्षक रात में असमाजिक गतिविधियां करते हैं और दिन में अपनी गतिविधियां छिपाने के लिए गऊ रक्षक का चोला ओढ़ लेते हैं, राज्य सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ डोजियर तैयार करे इसमें 80 प्रतिशत वो लोग निकलेंगे जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता।

**घ.** गऊ सेवा करनी है तो गऊ माता का प्लास्टिक खाना बन्द करवायें वही असली गऊ सेवा होगी।

19. यह कि 07/08/2016 को पुनः तेलांगना जो कि आन्ध्र प्रदेश का एक हिस्सा था, पुनः आपने गऊ सेवको/ गऊ रक्षकों को समाज के आगे अपराधी की तरह पेश किया।

20. यह कि आपने गऊ सेवको/ गऊ रक्षकों का जो अन्तर है वह कोन से ग्रन्थ से लिया है उसका कोई संदर्भ नहीं दिया है।

21. यह कि 80 प्रतिशत गऊ सेवकों, गऊ रक्षकों को असमाजिक तत्व, गोरखधन्धेबाज व अपराधी बताने के लिए आपने किस सूचना, किस रिपोर्ट व किन आंकडों पर आपने यह ब्यान दिया उसका कोई सन्दर्भ नहीं दिया।

22. यह कि जिस तेलांगना की जमीन पर से आपने यह ब्यान दिया उस राज्य में मात्र छः लाईसेंसशुदा बूचडखाने है और 3100 गैर कानूनी बूचडखाने चल रहे हैं। जो कि यह आंकडे पब्लिक डोमिन में मौजूद हैं। परन्तु आपने एक बार भी ना तो गऊ तस्करों के खिलाफ और ना ही गैरकानूनी बूचड़खाने के खिलाफ डोजियर बनाने की बात कही।

23. यह कि प्लास्टिक पर वैन लगाना तथा पर्यावरण व गऊ माता की प्लास्टिक से रक्षा करना संविधान की धारा 48 के तहत राज्य सरकार जिम्मेदारी है ना कि गऊ सेवको व गऊ रक्षकों की एवं आपकी हिदायत के अनुसार गऊ सेवक/ गऊ रक्षक प्लास्टिक के

ऊपर रोक लगायें तो वह संविधान की किस धारा, किस नियम, किस रूल, किस एक्ट के तहत गऊ सेवक/ गऊ रक्षक ऐसा कर सकते हैं कृपया इसे परिभाषित करें।

24. यह कि आपका उपरोक्त ब्यान गऊ सेवकों/ गऊ रक्षकों को समाज में अपमानित करने वाला, बदनामी दिलाने वाला और उनकी छबि को धूमिल करने वाला तथा गऊ तस्करों, गऊ हत्यारों के और गैर कानूनी बूचडखानों को चलाने वालों को प्रोत्साहित करने वाला है।

25. यह कि संबिधान की धारा 21 के तहत समाज के सभी वर्गो व समाज के सभी नागरिक को मान सम्मान से जीने का अधिकार सुरक्षित है तथा सर्वोच्चन्यायालय ने अपने एक फैसले में श्रीमद्भगवतगीता का उल्लेख करते हुये कहा कि अपमान की स्थति मृत्यु के समान होती है।

26. यह कि चूँकि नोटिसकर्ता गऊ सेवा और गऊ रक्षा दोनों से जुडा है तथा देश की किसी भी न्यायालय में उसके खिलाफ दीवानी और फोजदारी किसी भी मामले में आजतक कोई नोटिस तक नहीं दिया है तथा आपके उपरोक्त ब्यान के पश्चात् गऊ सेवको/ गऊ रक्षकों एवं नोटिसकर्ता को समाज में संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा है तथा समाज में नोटिसकर्ता की छवि आपके ब्यान के बाद प्रभावित व

धूमिल हुई है तथा नोटिसकर्ता को बदनामी का सामना करना पड़ रहा है।

27. यह कि नोटिस मिलने के 15 दिन के अन्दर आप अपने उपरोक्त ब्यान का स्पष्टीकरण एवं 80 प्रतिशत से अधिक गऊ सेवकों/ गऊ रक्षकों के असमाजिक गतिविधियों में सम्मिलित होने का प्रमाण व डोजियर उपलब्ध करायें तथा अपने उपरोक्त ब्यान की प्रमाणिकता साबित करें अन्यथा लिखित रूप से अपने ब्यान के लिए खेद प्रकृट करें व उपरोक्त ब्यान को वापस लें। ऐसा ना करने पर क्यों ना आपके खिलाफ आई0 पी0 सी0 की धारा 499/500 के अन्तगर्त परिवाद दाखिल किया जाये। इसे ताकिब समझे।

दिल्ली

दिनांक

भवदीय

आचार्य अजय गौतम